न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/28/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/175

अपीलार्थी

श्री छगनसिंह पुत्र रामप्रतापसिंह,
नि0 सोनावा, स्कीम नं.8 बी, मकान नं. 20बी के पास,
अलवर –301001

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 27.01.2022 के माध्यम से कार्यालय के कमरा नं.13 के डिस्पेच नं. रजिस्टर क्रमांकः 2508, 3648 व 5143 की प्रमाणित प्रति/सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन दिनांकः 27.01.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/विनिश्चय पत्र सं. 612 दिनांकः 08.03.22 से असंतुष्टि के कारण अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांकः 1129 दिनांकः 10.05.22 के माध्यम से 05 पृष्ठीय सूचना दस्तावेजी प्रति/जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित अनुभाग, प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांकः 3235–36 दिनांकः 25.02.22 से सूचना प्राप्त कर उनके पत्रांकः 612 दिनांकः 08.03.22 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया गया है किन्तु उक्त सूचना से अपीलार्थी असंतुष्ट है।
8. अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों के आलोक में अपील के अनुक्रम में संबंधित से सूचना प्राप्त कर उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)